

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन अटल नगर जिला - रायपुर

विज्ञापन क्रमांक...../2023-24

दिनांक.....

पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती / परिसीमित सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु संक्षिप्त विज्ञापन

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) के रिक्त 440 पदों पर नियुक्ति के लिये चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जायेगी। पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये छत्तीसगढ़ के मूल निवासी केवल महिला उम्मीदवारों से, ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के वेबसाइट <https://vyapam.cgstate.gov.in> पर आमंत्रित किये जाते हैं :-

पदनाम - पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर)
श्रेणी - तृतीय श्रेणी कार्यपालिक
वेतनमान - 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/- (मैट्रिक्स वेतन लेवल 06)

(1) रिक्त पदों का विवरण :-

1.1 खुली सीधी भर्ती :-

पद का नाम एवं वेतनमान	वर्ग	कुल रिक्त पदों की संख्या	दिव्यांगजन		
1	2	3	4		
पर्यवेक्षक, 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/- (मैट्रिक्स वेतन लेवल 06)			'क' समूह (LV)	'ख' समूह (HH)	'ग' समूह (OA, OL)
	अना.	92	05	05	05
	अ.ज.जा.	71			
	अ.जा.	26			
	अ.पि.व.	31			
योग	220	05	05	05	

1.2 परिसीमित सीधी भर्ती :-

पद का नाम एवं वेतनमान	वर्ग	कुल रिक्त पदों की संख्या	दिव्यांगजन		
1	2	3	4		
पर्यवेक्षक, 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/- (मैट्रिक्स वेतन लेवल 06)			'क' समूह (LV)	'ख' समूह (HH)	'ग' समूह (OA, OL)
	अना.	92	05	05	05
	अ.ज.जा.	70			
	अ.जा.	27			
	अ.पि.व.	31			
योग	220	05	05	05	

टीप :- 1. नियुक्ति संबंधी समस्त कार्यवाहियाँ मान. उच्चतम न्यायालय में दायर एस. एल.पी. (सी) क्रमांक 19668 / 2022 के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होंगी।

2. पर्यवेक्षक पद हेतु विस्तृत विज्ञापन महिला एवं बाल विकास विभाग के वेबसाइट <https://cgwcd.gov.in> एवं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के वेबसाइट <https://vyapam.cgstate.gov.in> पर अवलोकन कर सकते हैं।

(दिव्या उमेश मिश्रा) संचालक
महिला एवं बाल विकास
नका रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग
इन्द्रावती भवन अटल नगर जिला-रायपुर

विज्ञापन क्रमांक / 2023-24

दिनांक

पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती/परिसीमित
सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) के रिक्त 440 पदों पर नियुक्ति के लिये चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जावेगी। पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये छत्तीसगढ़ के मूल निवासी केवल महिला उम्मीदवारों से, ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के वेबसाइट <https://vyapam.cgstate.gov.in> पर आमंत्रित किये जाते हैं :-

पदनाम - पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर)

श्रेणी - तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (अराजपत्रित)

वेतनमान - 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/- (मैट्रिक्स वेतन लेवल 06)

(1) रिक्त पदों का विवरण :-

1.1 खुली सीधी भर्ती :-

पद का नाम एवं वेतनमान	वर्ग	कुल रिक्त पदों की संख्या	दिव्यांगजन		
			1	2	3
पर्यवेक्षक, 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/- (मैट्रिक्स वेतन लेवल 06)			4		
			'क' समूह I (I.V)	'ख' समूह (III)	'ग' समूह (OA, OI)
	अना.	92	05	05	05
	अ.ज.जा.	71			
	अ.जा.	26			
अ.पि.व.	31				
योग	220	05	05	05	

1.2 परिसीमित सीधी भर्ती :-

पद का नाम एवं वेतनमान	वर्ग	कुल रिक्त पदों की संख्या	दिव्यांगजन		
			1	2	3
पर्यवेक्षक, 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/- (मैट्रिक्स वेतन लेवल 06)			4		
			'क' समूह (I.V)	'ख' समूह (III)	'ग' समूह (OA, OI)
	अना.	92	05	05	05
	अ.ज.जा.	70			
	अ.जा.	27			
अ.पि.व.	31				
योग	220	05	05	05	

दिव्यांगजनों का स्पष्टीकरण -

1. 'क' समूह - अंध एवं निम्न दृष्टि में केवल LV (Low Vision) दृष्टिबाधित शामिल है।
2. 'ख' समूह - बाधिर एवं श्रवण शक्ति ह्रास में केवल HH (Hearing Handicapped) श्रवण बाधित दिव्यांग शामिल है।
3. 'ग' समूह - चलन निःशक्तता में केवल OA या OL (One Arm or One Leg Handicapped) एक हाथ या एक पैर से बाधित दिव्यांग शामिल है।

टीप :- इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के दिव्यांगजन को दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण की पात्रता नहीं होगी।

(2) पद संबंधी अन्य जानकारी :-

- 2.1 पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
- 2.2 खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के लिए छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी प्रावीण्य सूची जारी तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। यदि इस अवधि में वित्त विभाग द्वारा पर्यवेक्षक के 320 पदों के अतिरिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति दी जाती है तो अनुमति दी गई पदों की संख्या तक इस प्रावीण्य सूची से नियमानुसार पर्यवेक्षकों की पदपूर्ति की कार्यवाही मान्य अवधि तक की जा सकेगी।
- 2.3 खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के प्रावीण्य सूची के आधार पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जावेगी।
- 2.4 परिसीमित सीधी भर्ती केवल विभाग अंतर्गत राज्य में 05 वर्ष से सतत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिये है।
- 2.5 नियुक्ति संबंधी समस्त कार्यवाहियाँ मान. उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
- 2.6 पर्यवेक्षक का मुख्य कार्य मैदानी स्तर पर समस्त विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, निरीक्षण करना तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना इत्यादि है।

(3) पात्रता की शर्त :-

3.1 खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं:-

3.1.1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य उपाधि।

3.1.2. निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होना चाहिये अर्थात् यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष की स्नातक की परीक्षा में बैठा है और आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक उसके पास स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं होगी।

3.2 परिसीमित सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) के लिये शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी अर्हताएँ :-

3.2.1. 10+2 पद्धति से बारहवी कक्षा उत्तीर्ण अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण।

3.2.2. निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक को अवश्य होना चाहिये अर्थात् यदि कोई आवेदिका इस वर्ष की हायर सेकेण्डरी/बारहवीं की परीक्षा में सम्मिलित हुई है और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उसके पास हायर सेकेण्डरी/(10+2) बारहवी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं होगी।

3.2.3. 01 जनवरी 2023 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष तक की सतत् सेवा छ.ग. राज्य के किसी शासकीय आं.बा. केन्द्र (बाल विकास परियोजना-ओरछा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शामिल करते हुये) में पूर्ण करते हुए चयन उपरान्त अभिलेखों के सत्यापन के दौरान भी कार्यरत हो।

टीप:- विभागान्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों (ओरछा परियोजना सहित) के ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिन्होंने 01 जनवरी 2023 को 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और खुली सीधी भर्ती संबंधी शैक्षणिक अर्हता एवं आयु इत्यादि संबंधी मापदंडों को पूर्ण करती हो तो, खुली सीधी भर्ती परीक्षा तथा परिसीमित सीधी भर्ती परीक्षा दोनों के लिए पात्र होंगी। किन्तु जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 01 जनवरी 2023 को 05 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करती है किन्तु खुली सीधी भर्ती संबंधी शैक्षणिक अर्हता एवं आयु संबंधी मापदण्ड को पूरा करती हो तो केवल खुली सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगी।

3.3 आयु सीमा

➤ खुली सीधी भर्ती उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। अन्य विशेष वर्ग जैसे :- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की आयु के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि विभिन्न संवर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वे छूट लागू रहेगी परन्तु उपरोक्त सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

➤ परिसीमित सीधी भर्ती उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2023 से की जावेगी।

4. नियुक्ति की अन्य शर्तें :-

4.1 आवेदिका को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

4.2 केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी।

4.3 कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।

- 4.4 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- 4.5 आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- 4.6 चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है, कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है, या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है, तो उसका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

5. चयन प्रक्रिया:-

- 5.1 चयन हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के प्रश्न पत्र पृथक-पृथक होंगे तथा खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा पृथक-पृथक पाली में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी।
- 5.2 पर्यवेक्षक पद पर चयन, आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम के प्राप्तांकों की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) के आधार पर होगा। योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार/वर्गवार प्रावीण्य सूची के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी किये जावेगें। उपरोक्त प्रावीण्य सूची, जारी होने के दिनांक से अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।
- 5.3 खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती की प्रावीण्य सूची पृथक-पृथक तैयार की जायेगी।
- 5.4 लिखित परीक्षा के लिये उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर व्यापम द्वारा आबंटित परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिये यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
- 5.5 समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी, जिन उम्मीदवारों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी। यदि किसी उम्मीदवार की जन्मतिथि एवं प्राप्तांक भी समान होने की स्थिति में पर्यवेक्षक पद के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र/अंकसूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।
- 5.6 चयन हेतु उम्मीदवार की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, आयुक्त/संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को होगा।
- 5.7 चयनित उम्मीदवार को पुलिस वेरीफिकेशन (चरित्र सत्यापन) कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही पद पर उपस्थिति मान्य किया जायेगा।
- 5.8 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

5.9 चयन हेतु केवल लिखित परीक्षा लिया जावेगा, साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा।

6. प्रावीण्य सूची के आधार पर चयनित उम्मीदवार की पदस्थापना राज्य के किसी भी क्षेत्र में की जा सकेगी।
7. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी। परिवीक्षा अवधि में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80%, एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में देय होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियत किया जावेगा।

8. चयन उपरान्त अभिलेखों का भौतिक सत्यापन—

चयनित उम्मीदवार को चयन उपरान्त/कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नानुसार प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा—

- 8.1 छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होने के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- 8.2 जन्म तिथि को प्रमाणित करने हेतु जन्म प्रमाण पत्र, हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्मतिथि का उल्लेख हो।
- 8.3 विहित शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र।
- 8.4 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) के शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- 8.5 दिव्यांग उम्मीदवार को नियुक्ति के समय चिकित्सा बोर्ड का दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा पर्यवेक्षक के कार्य संपादन के संबंध में उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 8.6 परिसीमित सीधी भर्ती के उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की सतत सेवा पूर्ण करने एवं चयन उपरान्त अभिलेखों के सत्यापन के दौरान भी कार्यरत रहने के संबंध में संबंधित बाल विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी के प्रमाण पत्र एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन हेतु जारी नियुक्ति आदेश।
- 8.7 उम्मीदवार यदि केन्द्र या राज्य शासन के अधीन अन्य विभागों में कार्यरत हो तो संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट:— चयन हेतु परीक्षा का आयोजन, परीक्षा संचालन संबंधी नियम, परीक्षा पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप, परीक्षा की तिथि, परीक्षा केन्द्र, मूल्यांकन पद्धति, परीक्षा परिणाम, प्रवेश पत्र इत्यादि अन्य निर्देश व्यापम की वेबसाइट <https://vyapam.cgstate.gov.in> पर देखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़
समाचार


(दिव्या उमेश मिश्रा)
संचालक

संचा.महिला एवं बाल विकास
रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(9) खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिये आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम:-

- पूर्णांक-100, समयावधि-02 घंटा, प्रश्नों की संख्या-100
- प्रश्नों की प्रकृति - वस्तुनिष्ठ

भाग-01 महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएँ एवं कार्यक्रम - 20 अंक

1. महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य एवं दायित्व, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 (पूर्व में एकीकृत बाल विकास सेवाएँ) आंगनबाड़ी की सेवाएँ, उद्देश्य, हितग्राहियों का चयन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक के कार्य दायित्व, आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृति के मापदंड।
2. पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, इसमें गर्भावस्था, प्रसव के दौरान, शिशुवती माता एवं शिशु की देखभाल तथा स्तनपान भी शामिल है।
3. कुपोषण, वृद्धि निगरानी एवं वजन त्र्यौहार।
4. शिशु एवं मातृ मृत्यु दर, टीकाकरण (रोग प्रतिरक्षण)।
5. बच्चों को होने वाली बीमारियों एवं पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाली बीमारियों।
6. **विभाग की केन्द्र प्रवर्तित योजनायें-**
 - 6.1 मिशन शक्ति - मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला सशक्तिकरण केन्द्र (हब फार इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन), शक्ति सदन एवं सखी निवास।
मिशन शक्ति के संबल घटक अंतर्गत सखी (वन स्टॉप सेंटर), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला हेल्प लाईन।
 - 6.2 मिशन वात्सल्य (पूर्व में एकीकृत बाल संरक्षण योजना) की योजनाएँ, कार्यक्रम एवं संस्थाएँ।
 - 6.3 पोषण अभियान एवं पूरक पोषण आहार कार्यक्रम।
7. **विभाग के राज्य मद की योजनाएँ-** मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई), सुचिता योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, नोनी सुरक्षा योजना, नवा बिहान योजना, महिला जागृति शिविर, दिशा दर्शन एवं भ्रमण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, सक्षम योजना, महिला स्वयं सहायता समूह एवं नारी निकेतन।
8. **महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान-** बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं नियम 2007, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध नियम 2004, टोनही प्रताड़ना निवारण के लिये कानून 2005, बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा संशोधन 2021 एवं नियम 2016 संशोधन-2022।

भाग-02 सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान -

40 अंक

1. विषमताओं को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संकियाएँ, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि।

2. तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता आदि।
3. छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास सामान्य जानकारियाँ, घटनाएँ, खेल, साहित्य।
4. भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन-भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास।
5. अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम।
6. भारत का संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, लोकतंत्र।
7. भारत की अर्थव्यवस्था – वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, सामाजिक आर्थिक विकास, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र, पंचवर्षीय योजनाएँ, कृषि एवं ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा संकुचन एवं मुद्रा प्रसार।
8. भूगोल- भारत का भौगोलिक स्वरूप, भारत के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, छत्तीसगढ़ का भूगोल।
9. सामान्य विज्ञान- विज्ञान के महत्वपूर्ण अविष्कार, विज्ञान संबंधी सामान्य ज्ञान।

भाग-03 सामान्य हिन्दी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान-

15 अंक

1. शब्द रचना।
2. शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी।
3. अनेक शब्द का एक शब्द, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द।
4. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ।
5. स्वर, व्यंजन एवं वर्तनी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द युग्म।
6. लिंग, वचन एवं काल।
7. संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग।
8. शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य।

भाग-04 GENERAL ENGLISH -

10 अंक

1. Numbers
2. Gender
3. Noun, Pronoun, Adjectives, Verb
4. Active and Passive Voice
5. Tense
6. Antonyms, Synonyms
7. One word substitution
8. Spellings

भाग-05 सामान्य गणित -

15 अंक

1. दशमिक प्रणाली।
2. समसंख्या एवं विषम संख्या।
3. गुणनफल एवं भागफल।
4. अनुपात एवं समानुपात।
5. औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज।
6. लाभ, हानि एवं क्षेत्रफल आंकलन।

(10) परिसीमित सीधी भर्ती के लिये आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम :-

- पूर्णांक-100, समयावधि-02 घंटा, प्रश्नों की संख्या-100
- प्रश्नों की प्रकृति - वस्तुनिष्ठ

भाग-01 महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएँ एवं कार्यक्रम - 60 अंक

1. महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य एवं दायित्व, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 (पूर्व में एकीकृत बाल विकास सेवाएँ) आंगनबाड़ी की सेवाएँ, उद्देश्य, हितग्राहियों का चयन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक के कार्य दायित्व, आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृति के मापदंड।
2. पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, इसमें गर्भावस्था, प्रसव के दौरान, शिशुवती माता एवं शिशु की देखभाल तथा स्तनपान भी शामिल है।
3. कुपोषण, वृद्धि निगरानी एवं वजन त्र्यौहार।
4. शिशु व मातृ मृत्यु दर, टीकाकरण (रोग प्रतिरक्षण)।
5. बच्चों को होने वाली बीमारियों एवं पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाली बीमारियों।
6. विभाग की केन्द्र प्रवर्तित योजनायें-

6.1 मिशन शक्ति - मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला सशक्तिकरण केन्द्र (हब फार इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन), शक्ति सदन एवं सखी निवास।

मिशन शक्ति के संबल घटक अंतर्गत सखी (वन स्टॉप सेंटर), बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ योजना, महिला हेल्प लाईन।

6.2 मिशन वात्सल्य (पूर्व में एकीकृत बाल संरक्षण योजना) की योजनाएँ, कार्यक्रम एवं संस्थाएँ।

6.3 पोषण अभियान एवं पूरक पोषण आहार कार्यक्रम।

7. विभाग के राज्य मद की योजनाएँ- मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं देखरेख शिक्षा (ई.सी.सी.ई.), सुचिता योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, नोनी सुरक्षा योजना, नवा बिहान योजना, महिला जागृति शिविर, दिशा दर्शन एवं भ्रमण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, सक्षम योजना, महिला स्वयं सहायता समूह एवं नारी निकेतन।

8. महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं नियम 2007, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध नियम 2004, टोनही प्रताड़ना निवारण के लिये कानून 2005, बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा संशोधन 2021 एवं नियम 2016 संशोधन-2022।

भाग-02 सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान -

15 अंक

1. विषमताओं को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएँ, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि।
2. तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता आदि।

3. छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास सामान्य जानकारियों, घटनाएँ, खेल, साहित्य।
4. भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन-भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास।
5. अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम।
6. भारत का संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, सूचना का अधिकार, लोकतंत्र।
7. भारत की अर्थव्यवस्था - वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, सामाजिक आर्थिक विकास, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र, पंचवर्षीय योजनाएँ, कृषि एवं ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, भारतीय बैंक, मुद्रा संकुचन एवं मुद्रा प्रसार।
8. भूगोल- भारत का भौगोलिक स्वरूप, भारत के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, छत्तीसगढ़ का भूगोल।
9. सामान्य विज्ञान- विज्ञान के महत्वपूर्ण अविष्कार, विज्ञान संबंधी सामान्य ज्ञान।

भाग-03 सामान्य हिन्दी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान -

10 अंक

1. शब्द रचना।
2. शब्द प्रकार, तत्सम, तदभव, देशज, विदेशी।
3. अनेक शब्द का एक शब्द, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द।
4. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ।
5. स्वर, व्यंजन एवं वर्तनी, उपसर्ग एवं प्रत्याय शब्द युग्म।
6. लिंग, वचन एवं काल।
7. संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग।
8. शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य।

भाग-04 GENERAL ENGLISH -

05 अंक

1. Numbers
2. Gender
3. Pronoun, Adjectives, Verb
4. Active and Passive Voice
5. Tense
6. Antonyms, Synonyms
7. One word substitution
8. Spellings

भाग-05 सामान्य गणित -

10 अंक

1. समसंख्या एवं विषम संख्या।
2. गुणनफल एवं भागफल।
3. अनुपात एवं समानुपात।
4. औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज।
5. लाभ, हानि एवं क्षेत्रफल आंकलन।

छत्तीसगढ़ी
समाचार



संचालक
महिला एवं बाल विकास विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर
रायपुर (छ.ग.)



व्यापम परीक्षा निर्देश

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत
पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती/परिसीमित सीधी भर्ती हेतु परीक्षा 2023 (MBS23)

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि – 05.07.2023 (बुधवार)
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि – 30.07.2023 (रविवार) रात्रि 11:59 बजे तक
3. त्रुटि सुधार – 31.07.2023 से 02.08.2023 तक

महत्वपूर्ण टीप –

- ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि सम्बंधी प्रमाण-पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण-पत्र का परीक्षण नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा।
- आवेदन पत्र भरने से पहले विभाग द्वारा जारी विज्ञापन को भली-भाँति पढ़ लेवें, आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सेम्पल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करें।
- भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट अवश्य लेकर रखें।
- अभ्यर्थी अपना स्वयं का फोटो .jpg/.jpeg फार्मेट में स्कैन कर कर फाइल के रूप में रखें। जिसका अधिकतम साइज 60 kb एवं न्यूनतम साइज 40 kb का हो, सेव कर रखें। (फाइल का नाम अल्फान्यूमेरिक में रखें, बीच में अंतराल तथा डॉट का प्रयोग न करें)
- साथ ही अभ्यर्थी अपने स्वयं के हस्ताक्षर का फोटो भी स्कैन कर कर एक अलग .jpg/.jpeg फार्मेट में फाइल के रूप में रखें। जिसका अधिकतम साइज 60 kb एवं न्यूनतम साइज 40 kb का हो, सेव कर रखें।

महत्वपूर्ण जानकारी

1. पात्रता :- आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम देखें। केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियमों में दी गई शर्तें पूरी करते हों। मात्र आवेदन पत्र भरना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है।

2. ऑनलाइन आवेदन करने की विधि :-

ऑनलाइन आवेदन करने की विधि की जानकारी व्यापम की वेबसाइट के लिंक पर उपलब्ध फाइल से प्राप्त की जा सकती है।

3. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की विधि :-

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अभ्यर्थी को भरे हुए आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु निम्न निर्देश दिया जाता है –

1. ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फार्म जमा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के दौरान भी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् भी 03 दिवस का समय दिया जायेगा।
2. OMR उत्तरशीट में परीक्षा दिवस के दिन कोई भी त्रुटि सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी।
3. ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि/त्रुटि सुधार कर की गई प्रविष्टि के अनुसार ही प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा।

4. प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी :-

परीक्षा के लगभग 07 से 10 दिन पूर्व एडमिट कार्ड व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा इसे प्राप्त करने के लिए वेबसाइट में अपना **Registration ID** डालकर इसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा पश्चात् भी एडमिट कार्ड को संभालकर रखें। काउंसलिंग के समय तथा सर्विस ज्वाइनिंग के समय इसे प्रस्तुत करना होगा। एडमिट कार्ड की द्वितीय प्रति व्यापम द्वारा प्रदाय नहीं किया जावेगा।

पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जायेगा।

5. हेल्प लाइन संबंधी जानकारी :-

ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे (कार्यालयीन समय) के बीच 0771-2972780 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अवकाश के दिनों में मोबाइल नंबर 8269801982 पर संपर्क कर सकते हैं।

6. पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी :-

उक्त परीक्षा हेतु विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जिसका अवलोकन कर लेवें, आवश्यक समझे तो प्रिंट आउट प्राप्त कर लेवें।

7. परीक्षा कक्ष में प्रवेश :-

(अ) परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री लायें—

- (1) परीक्षा प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) – ऑनलाइन से प्राप्त प्रवेश पत्र में यदि फोटो प्रिंट न हुआ हो तो दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर परीक्षा केन्द्र में जावें
- (2) नीला/काला डाटपेन।
- (3) अभ्यर्थी अपने साथ मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसंस, पैन कार्ड, वोटर आई डी लेकर ही परीक्षा केन्द्र में आयेंगे जिससे कि उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। **मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने से उन्हें वंचित किया जायेगा।**

नोट— अभ्यर्थी के पास अन्य सामग्री जैसे सामान्य केलकुलेटर, लॉगटेबिल साइंटिफिक केलकुलेटर, पेपर, मोबाइल फोन आदि पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी का प्रकरण अनुचित साधन के प्रयोग (UFM) में दर्ज किया जावेगा।

(ब) परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

8. परीक्षा पद्धति :-

प्रश्नपत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 01 अंक देय होगा। जिसके चार विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, सही विकल्प पर उत्तरशीट (OMR) में नीले/काले डॉट पेन से गोला को पूर्णतः भरना होगा।

9. मूल्यांकन पद्धति :-

प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे। उनमें से एक उत्तर सही तथा तीन उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर नियत अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर (—) ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर नियत अंक का 1/4 अंक काटे जायेंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेंगे उनके लिए शून्य (**zero**) अंक प्रदान किये जायेंगे।

10. दावा/आपत्ति का निराकरण :-

परीक्षा सम्पन्न होने के बाद व्यापम द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र विश्लेषण पश्चात् मॉडल उत्तर तैयार कराया जाता है तथा उसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी परीक्षार्थी को व्यापम द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर सप्रमाण दावा/आपत्ति (किसी गाइड बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा।) व्यापम की वेबसाइट पर दावा आपत्ति सेक्शन में जाकर दावा आपत्ति पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किया जावेगा।

व्यापम पोर्टल पर दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थी को अपना पंजीयन क्रमांक एवं जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा और निर्देशानुसार दावा आपत्ति दर्ज करानी होगी। दावा आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया का मेनुअल URL के मुख्य पृष्ठ पर दिया गया है। कृपया इसका भलीभाँति अध्ययन कर लें। दावा आपत्ति को पोर्टल पर पंजीकृत कराने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिये जाने वाले दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अपलोडिंग हेतु तैयार रखें एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती भी डाउनलोड कर लें।

नियत दिनांक एवं निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति, पोर्टल पर स्वीकार नहीं होंगे। बिना प्रमाण का दावा/आपत्ति को पूर्णतः अमान्य किया जावेगा। प्राप्त दावा/आपत्ति के परीक्षण पश्चात् विषय विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जावेगा। दावा/आपत्ति के सम्बन्ध में विषय विशेषज्ञों का निर्णय ही मान्य किया जावेगा। प्रत्येक प्रश्न का दावा/आपत्ति अलग-अलग प्रस्तुत करना होगा। एक साथ एक से अधिक प्रश्नों पर दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने पर अमान्य किया जायेगा। कितने भी प्रश्नों पर दावा/आपत्ति अलग-अलग प्रस्तुत करने पर उन पर विचार किया जायेगा।

प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म परीक्षण पश्चात् निराकरण किया जाता है तथा मॉडल उत्तर में आवश्यक संशोधन या निरसन पश्चात् अंतिम उत्तर तैयार किया जाता है, जिसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है तथा उसी के आधार पर व्यापम द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाता है। **व्यापम द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।**

11. त्रुटि पूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न के परीक्षण पश्चात् मॉडल उत्तर एवं दावा/आपत्ति के निराकरण पश्चात् अंतिम उत्तर तैयार कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर निरस्त कर दिया जाता है।

निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं—

1. प्रश्न की संरचना गलत हो,
2. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हो,
3. कोई भी विकल्प सही न हो,
4. किसी प्रश्न के हिन्दी और अंग्रेजी रुपांतर में अंतर हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और एक भी सही उत्तर स्पष्ट न होता हो.
5. मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो।

विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिये सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण के लिए 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र जिसमें कुल अंक 150 है, में से 06 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थी 144 प्रश्नों में से 104 प्रश्नों का सही उत्तर अंकित करता है, 22 प्रश्नों का गलत उत्तर अंकित करता है तथा निगेटिव मार्किंग होने से 18 प्रश्नों का उत्तर अंकित नहीं करता तो उसके कुल अंकों की गणना इस प्रकार होगी -

सही उत्तरों की संख्या	-	गलत उत्तरों की संख्या काटे गये अंक	=	अभ्यर्थी का प्राप्तांक
104	-	22	=	104-5.5 =98.5
		—————	=	5.5
		4		

प्राप्तांक x कुल प्रश्न	=	98.5 x 150	=	102.604 कुल प्राप्तांक
-------------------------	---	------------	---	------------------------

कुल प्रश्न - निरस्त प्रश्न 150 - 6
तदनुसार कुल प्राप्तांक के आधार पर मेरिट निर्धारित होगी।

12. परीक्षा परिणाम :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर मेरिट सूची, कुल प्राप्तांक एवं रैंकिंग सहित घोषित की जावेगी। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर देख सकते हैं तथा प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं।

13. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन ओ.एम.आर. मशीन से किया जाता है, अतः पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है।

14. क्षेत्राधिकार (JURISDICTION) :-

व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।

व्यापम द्वारा जारी परीक्षा जिला कोड तथा समन्वयक केन्द्रों के नाम –

क्र.	जिला का नाम	जिला कोड	महाविद्यालय का नाम	दूरभाष नंबर
1	सरगुजा (अम्बिकापुर)	11	राजीव गांधी शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, अम्बिकापुर	07774-230921
2	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	12	शासकीय महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर (कोरिया)	07836-232252
3	बिलासपुर	13	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव, स्नातकोत्तर विज्ञान महा., बिलासपुर	07752-246430
4	दंतेवाड़ा	14	शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा	07856-240087
5	धमतरी	15	बाबू छोटेलाल शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, धमतरी	07722-237933
6	दुर्ग	16	विश्वनाथ तामस्कर शासकीय कला एवं विज्ञान महा., दुर्ग	0788-2211688
7	जगदलपुर (बस्तर)	17	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	07782-229340
8	जांजगीर-चांपा	18	शासकीय पी.जी. टी.सी.एल. महाविद्यालय, जांजगीर-चांपा	07817-222240
9	जशपुर नगर	19	शासकीय पी.जी.एन.ई.एस. महाविद्यालय, जशपुर नगर	07763-223539
10	कांकेर	20	भानुप्रतापदेव शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर	07868-222028
11	कबीरधाम	21	आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहेब शास. महा, कबीरधाम	07741-232496
12	कोरबा	22	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कोरबा	07759-221458
13	महासमुंद	23	शासकीय महाविद्यालय, महासमुंद	07723-222048
14	रायगढ़	24	किरोड़ीमल शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़	07762-222966
15	रायपुर	25	शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	0771-2263131
16	राजनांदगाँव	26	शासकीय पी.जी. दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगाँव	07744-225036
17	बीजापुर	27	शासकीय महाविद्यालय, बीजापुर	94242-93022
18	नारायणपुर	28	शासकीय महाविद्यालय, नारायणपुर	94252-98192
19	गरियाबंद	29	शासकीय महाविद्यालय, गरियाबंद	94077-30011
20	बलौदा बाजार	30	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, बलौदा बाजार	94255-23895
21	बालोद	31	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, बालोद	94256-38175
22	बेमेतरा	32	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, बेमेतरा	94241-28570
23	मुंगेली	33	शासकीय महाविद्यालय, मुंगेली	94255-43065
24	कोण्डागाँव	34	शासकीय महाविद्यालय, कोण्डागाँव	94255-95895
25	सूरजपुर	35	शासकीय महाविद्यालय, सूरजपुर	07775-266657
26	बलरामपुर	36	शासकीय महाविद्यालय, बलरामपुर	98268-79840
27	सुकमा	37	शासकीय महाविद्यालय, सुकमा	94252-60241
28	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	38	शा. भंवर सिंह पोर्त, स्नातकोत्तर महा., पेण्ड्रा	9993825510
29	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी (एम.एम.ए.)	39	शासकीय महाविद्यालय, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी	94255-93004
30	सक्ती (एस.)	40	शासकीय महाविद्यालय, सक्ती	94241-58552

नियंत्रक

छ.ग. व्यापम, नवा रायपुर



कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर
व्यापम भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)-492002
Phone No.- 0771-2972780, Fax No.- 2972782,
Website- <https://vyapam.cgstate.gov.in>

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत
पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती/परिसीमित सीधी भर्ती हेतु परीक्षा 2023 (MBS23)

ऑनलाइन फार्म भरने से पहले निम्न बिन्दुओं पर अवश्य ध्यान दें

1. अभ्यर्थियों की सुविधा की दृष्टि से व्यापम ने आवेदकों के प्रोफाइल पंजीकरण की व्यवस्था व्यापम पोर्टल पर की है। एक बार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) करने के बाद परीक्षा विशेष के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को बार-बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी होगी। यह जानकारी उनके प्रोफाइल पंजीयन से स्वमेव आ जायेगी। इससे त्रुटि की संभावना कम होगी।
2. ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि सम्बंधी प्रमाण-पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण-पत्र का परीक्षण नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा नियुक्त के पूर्व की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा।
3. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अभ्यर्थी को समय दिया गया है। परीक्षा दिवस के दिन ओ.एम.आर./OMR उत्तरशीट पर कोई त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। आवेदन पत्र की प्रविष्टियों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा। त्रुटि सुधार के लिए हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी में भेजा गया कोई भी आवेदन व्यापम द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
4. आवेदन भरने के पूर्व विभाग द्वारा जारी नियमों को ध्यान से पढ़ें।
5. आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखें।
6. व्यापम के वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in में ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) फार्म भरने हेतु अभ्यर्थी अपना स्वयं का फोटो .jpg/.jpeg फार्मेट में स्कैन कर कर फाइल के रूप में रखें। जिसका अधिकतम साइज 60 kb एवं न्यूनतम साइज 40 kb का हो, सेव कर रखें। (फाइल का नाम अल्फान्यूमेरिक में रखें, बीच में अंतराल तथा डॉट का प्रयोग न करें), साथ ही अभ्यर्थी अपने स्वयं के हस्ताक्षर का फोटो भी स्कैन कर कर एक अलग .jpg/.jpeg फार्मेट में फाइल के रूप में रखें। जिसका अधिकतम साइज 60 kb एवं न्यूनतम साइज 40 kb का हो, सेव कर रखें, जिसे आवेदन पत्र (फार्म) में अपलोड किया जा सके।
7. आवेदन फार्म भरने से पहले फार्म में आवश्यक जानकारियाँ एक कोरा कागज में लिख कर तैयार रखें एवं ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के बाद यह सुनिश्चित कर लें कि दी गई सभी जानकारियाँ सही हैं।
8. आपका वैध E-mail (ई मेल) आई.डी. होना आवश्यक है। अतः अपना E-mail बनाकर तैयार रखें।



संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत
पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती/परिसीमित सीधी भर्ती हेतु परीक्षा 2023 (MBS23)

प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) फार्म

अभ्यर्थी स्वयं के संबंध में बिन्दुवार मांगी गई जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें, जो निम्नानुसार है :-

1. **Mobile No. Verification-** अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर अंकित करें ।
2. **First Name, Middle Name & Last Name.-** अभ्यर्थी अपना नाम अंकित करें ।
3. **Create Password -** अभ्यर्थी अपना पासवर्ड अंकित कर, पासवर्ड की पुष्टि करें ।
4. **Basic Information –** में अभ्यर्थी स्वयं की मूलभूत जानकारी अंकित करें ।
5. **Candidate`s Name-** अभ्यर्थी अपना नाम अंग्रेजी के केपिटल अक्षर में लिखें ।
6. **Relative`s Type-** अभ्यर्थी अपने रिश्तेदार का प्रकार का चयन करें, उसी अनुसार **Father/Mother/Husband**—(पिता, माता, पति) में किसी एक को सेलेक्ट करें । उपरोक्तानुसार नाम में से संबंधित के नाम को केपिटल अक्षर में लिखें। नाम के पहले श्री/श्रीमती/स्व. आदि न लिखें ।
7. **Relative`s Name –** रिश्तेदार का नाम के साथ माता का नाम भी केपिटल अक्षर में लिखें। नाम के पहले श्री/श्रीमती/स्व. आदि न लिखें।
8. **Gender** में (लिंग) पुरुष, महिला या तृतीय लिंग जिससे आप संबंधित हैं, सेलेक्ट करें।
9. **Date of Birth-** जन्मतिथि को (दसवीं की अंकसूची में दर्शाये अनुसार) दिनांक, माह एवं वर्ष में ड्राप डाउन बॉक्स से सेलेक्ट करें । (जैसा कि 27 दिसंबर 1987 को दिनांक के बॉक्स में 27, माह के बॉक्स में दिसंबर एवं वर्ष के बॉक्स में 1987 सेलेक्ट करें)
10. **Domicile of Chhattisgarh:** (छत्तीसगढ़ के निवासी)— यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो हाँ Yes अन्यथा नहीं No को सेलेक्ट करें ।
11. **Family Yearly Income:** अभ्यर्थी पारिवारिक वार्षिक आय का उल्लेख करें ।
12. कृपया अपना स्वयं का फोटो अपलोड करें । (40kb to 60 kb)
13. कृपया अपना हस्ताक्षर का फोटो भी अपलोड करें । (40kb to 60 kb)
14. **Are you Person with Disability (PWD)** में (दिव्यांग वर्ग) क्या आप दिव्यांग वर्ग से संबंधित है ? Yes या No सेलेक्ट करें।
15. **Type of Disability** (दिव्यांगता का प्रकार) – अभ्यर्थी अपने दिव्यांगता का प्रकार – बहु दिव्यांग, अस्थि बाधित, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित (HH, HEARING, HANDICAPPED) में से चुने ।
16. **Other Information/अन्य जानकारी – Nationality/नागरिकता** अभ्यर्थी नागरिकता का चयन करें ।
17. **Category (Caste)-** में वर्ग जिससे आप संबंधित हैं, सेलेक्ट करें।
18. **District Domicile-** (स्थानीय जिला निवासी)— आप जिस जिले के स्थानीय निवासी हैं, उस जिले का चयन करें ।
19. **Marital Status:** (वैवाहिक स्थिति) – यदि आप विवाहित है तो हाँ Yes अन्यथा नहीं No को सेलेक्ट करें ।

20. **Email Id-** प्रत्येक आवेदक का ईमेल आई.डी होना अनिवार्य है । यदि नहीं है तो अपना ईमेल आई.डी. अवश्य बना लें तथा इस वैध ईमेल आई डी को इस खंड में अंकित करें । **पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एडमिट कार्ड या कोई भी जानकारी नहीं भेजी जावेगी।**
21. **Mobile No.-** में अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर अंकित करना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर के पहले शून्य (0) न लिखें ।
22. **Present Address/** - वर्तमान पता – अभ्यर्थी अपना डाक का पता को **House No.** में मकान नंबर (यदि हो तो) **Street Name** में सड़क/मोहल्ला का नाम, **City/Village** में शहर/गाँव का नाम, **State** में राज्य का नाम, **District** में निवास जिले का नाम सेलेक्ट करें। पिन में अपने डाकघर का पिन कोड अंकित करें। **Permanent Address/**स्थायी पता वर्तमान पते के समान होने पर उपरोक्तानुसार अंकित करें ।
23. **Declaration-** (घोषणा) – इसमें यह दिया गया है कि –
“मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं के नाम, श्रेणी, वर्ग, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, डाकपता एवं अन्य दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है, जिसके सत्यतापूर्वक और सही होने की मैं घोषणा करता/करती हूँ । मैंने विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में दर्शित नियमों एवं व्यापम के नियमों को पढ़ा है एवं समझा है । यदि ऊपर दी गई कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर मुझे पूर्व सूचना दिये बिना मेरी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।”
24. **I Agree—/**(मैं सहमत हूँ) –इसमें उपरोक्त **Declaration** घोषणा को पढ़कर समझने के बाद अपनी सहमति प्रकट करते हुए सहमत हूँ पर क्लिक करें ।
25. **Captcha/**कृपया कैप्चा को दर्ज करें ।
26. **इसके पश्चात Submit** में क्लिक करें ।

.....





संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत
पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती/परिसीमित सीधी भर्ती हेतु परीक्षा 2023 (MBS23)

ऑनलाइन आवेदन करने की विधि

Application Form में क्लिक करते ही “ON LINE APPLICATION FOR
पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती/परिसीमित सीधी भर्ती परीक्षा 2023 (MBS23)
(संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़) हेतु आवेदन पत्र से एक पेज खुलेगा” जिसमें
दी गई जानकारी अनुसार कार्य करें ।

- ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि सम्बंधी प्रमाण-पत्र नहीं लिए जा रहे हैं । अभ्यर्थी के सभी प्रमाण-पत्र का परीक्षण नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व की जाएगी । अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा । इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा ।
- ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फार्म जमा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के दौरान भी सुधार कर सकते हैं । इसके अलावा ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् भी 03 दिवस का समय दिया जायेगा । परीक्षा दिवस को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर कोई त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।
- आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखें ।

Exam Applied For :

अपनी अर्हता के अनुसार आप जिन-जिन पदों के लिए परीक्षा देना चाहते हैं, कृपया निम्न में से उसे चयन करें-

- Supervisor (खुली सीधी भर्ती)
- Supervisor (परिसीमित सीधी भर्ती)

Exam Pre-requisite

क्या आप आवेदित पद के लिए अपेक्षित अर्हताएँ रखते हैं ?

- Yes (हाँ)
- No (नहीं)

टीप – Supervisor (परिसीमित सीधी भर्ती) हेतु अपेक्षित अर्हताएँ –

1. ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर निरंतर 05 वर्ष सेवा का अनुभव
2. ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत होना चाहिए ।

Sub District (तहसील)

Post Office (पोस्ट ऑफिस)

Basic Information –

टीप – मूलभूत जानकारी स्वयं से आपके द्वारा दी गई प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) से आ जायेगी ।

Exam city का चयन करें ।

For Physically Handicapped Candidate : Do you need to scribe (Writer) ?-

(क्या आपको सहलेखक की आवश्यकता है ?)

Yes या No में से सेलेक्ट करें।

Class/ श्रेणी-

Do you belong any class ?- (क्या आप किसी वर्ग से सम्बंधित हैं ?)

Yes या No में से सेलेक्ट करें।

आप जिस वर्ग से संबंधित है, उसे सेलेक्ट करें।

Declaration- (घोषणा) – इसमें यह दिया गया है कि –

“मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं के नाम, श्रेणी, वर्ग, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, डाकपता एवं अन्य दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है, जिसके सत्यतापूर्वक और सही होने की मैं घोषणा करता/करती हूँ । मैंने विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में दर्शित नियमों एवं व्यापक के नियमों को पढ़ा है एवं समझा है । यदि ऊपर दी गई कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर मुझे पूर्व सूचना दिये बिना मेरी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।”

I Agree- / (मैं सहमत हूँ) – इसमें उपरोक्त **Declaration** घोषणा को पढ़कर समझने के बाद अपनी सहमति प्रकट करते हुए सहमत हूँ पर क्लिक करें ।

Captcha/कृपया कैप्चा को दर्ज करें ।

इसके पश्चात **Submit** में क्लिक करें ।

.....





Chhattisgarh Professional Examination Board, Raipur छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर

[Home](#) [Change Password](#) [Contact Us](#) [Help](#)

Application Form For

Supervisor (Khuli Seedhi Bharti/Pariseemit Seedhi Bharti) Recruitment Exam (MBS23) पर्यवेक्षक (खुली सीधी भर्ती/परिसीमित सीधी भर्ती) के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2023

Important Instructions

- ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि सम्बंधी प्रमाण-पत्रनहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण-पत्र का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा नियुक्तिके पूर्व की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा।
- ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फार्म जमा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के दौरानभी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् भी 03 दिवस का समय दिया जायेगा। परीक्षा दिवस को ओ.एम.आर. उत्तरसीट पर कोई त्रुटिसुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखें।

Exam Applied For

अपनी अहर्ता के अनुसार आप जिन-जिन पदों के लिए परीक्षा देना चाहते हैं कृपया निम्न में से उसे चयन करें *

Supervisor (Khuli Seedhi Bharti)

Supervisor (Pariseemit Seedhi Bharti)

Exam Pre-requisite

क्या आप आवेदित पद के लिए अपेक्षित आहर्ताए रखते है ?*

Yes(हाँ)

No(नहीं)

Note : Supervisor (Pariseemit Seedhi Bharti) हेतु अपेक्षित आहर्ताए

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर निरंतर 05 वर्ष सेवा का अनुभव।

2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत होना चाहिए।

Sub- District(तहसील)*

test

Post Office(पोस्ट ऑफिस)*

test

Cancel

Basic Information / मूलभूत जानकारी

Candidate's Name / उम्मीदवार का नाम

Relative's Type (रिश्तेदार का प्रकार) *

Father

Relative Name (रिश्तेदार का नाम)

Mother's Name / माता का नाम



Gender / लिंग

Date of Birth / जन्म की तारीख

Category / वर्ग

Payable Amount / भुगतान राशि

Uploads / अपलोड



Other Information / अन्य जानकारी

Marital Status / वैवाहिक स्थिति

Nationality / नागरिकता

Domicile of Chhatisgarh / छत्तीसगढ़ के निवासी

Email ID / ईमेल

Mobile No (मोबाइल नंबर)

District Domicile

Present Address / वर्तमान पता

House No / मकान नंबर

Street / स्ट्रीट

City/Village / शहर / गांव

RAIPUR

State / राज्य

Chhattisgarh

District / जिला

Raipur

Pin Code / पिनकोड

492001

Application Applied for Exam City

Exam City *

--Select--

Person With Disabilities (क्या आप दिव्यांग है?) *

Yes

Type of Disability (दिव्यांगता का प्रकार)

LV-Low Vision OL-One Leg OA-One Arm HH-HEARING HANDICAPPED

For Physically Handicapped Candidate: Do You need to Scribe(Writer) ? (क्या आपको सहलेखक की आवश्यकता है?) *

No

Class / श्रेणी

Do you belong any class?/ क्या आप किसी वर्ग (Class) से सम्बंधित हैं? *

Yes

No

Declaration / घोषणा

Declaration / घोषणा *

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि, मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं के नाम, श्रेणी, वर्ग, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, डाक पता एवं अन्य दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है, जिसके सत्यतापूर्वक और सही होने की मैं घोषणा करता/करती हूँ। मैंने विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में दर्शित नियमों एवं व्यापम के नियमों को पढ़ा है एवं समझा है। यदि ऊपर दी गई कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर मुझे पूर्व सूचना दिये बिना मेरी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।

I do hereby declare, that the information related to my Name, Category, Gender, Qualification, Date of Birth, Address and all other information given above are correct and I truthfully declare it to be correct. I have gone through the rules and other information related to the exam notified

I Agree (मैं सहमत हूँ)

Captcha / कृपया कैप्चा को दर्ज करें *

FkEHnB



Submit

Cancel

© 2023 CHiPS. All rights reserved.

This web site is best viewed in Google Chrome, Internet Explorer 9 and above.